

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 16

उपभोक्ता मामले विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	117.96	330.31	448.27	221.25	315.90	537.15	181.46	220.86	402.32	192.70	75.79	268.49	
पूँजी	8.44	...	8.44	19.75	...	19.75	10.54	...	10.54	27.30	...	27.30	
जोड़	126.40	330.31	456.71	241.00	315.90	556.90	192.00	220.86	412.86	220.00	75.79	295.79	
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	3451	...	15.64	15.64	...	17.31	17.31	...	16.24	16.24	...	20.68	20.68
उपभोक्ता मामले													
2. राष्ट्रीय परीक्षण शाला	3425	2.38	26.13	28.51	2.50	28.29	30.79	2.85	26.89	29.74	3.20	29.41	32.61
	5425	7.06	...	7.06	14.37	...	14.37	6.65	...	6.65	15.70	...	15.70
जोड़		9.44	26.13	35.57	16.87	28.29	45.16	9.50	26.89	36.39	18.90	29.41	48.31
3. उपभोक्ता संरक्षण	3456	73.24	8.32	81.56	80.06	8.82	88.88	78.20	8.46	86.66	86.80	10.68	97.48
	3601	11.48	...	11.48	38.98	...	38.98	22.16	...	22.16	31.80	...	31.80
	3602	0.08	...	0.08	2.40	...	2.40	0.09	...	0.09	1.10	...	1.10
जोड़		84.80	8.32	93.12	121.44	8.82	130.26	100.45	8.46	108.91	119.70	10.68	130.38
4. सुदृढ़ मूल्य निगरानी कक्ष	3456	0.85	...	0.85
	3601	0.54	...	0.54
	3602	0.26	...	0.26
जोड़		1.65	...	1.65
5. बाट और माप का विनियमन, आरआरएसएल और आईआईएलएम	3475	0.88	4.46	5.34	35.01	4.89	39.90	34.56	4.71	39.27	32.75	4.87	37.62
	3601	20.09	...	20.09	19.25	...	19.25	11.47	...	11.47	12.75	...	12.75
	3602	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.50	...	0.50
	5475	1.38	...	1.38	3.00	...	3.00	2.01	...	2.01	8.80	...	8.80
जोड़		22.35	4.46	26.81	57.51	4.89	62.40	48.29	4.71	53.00	54.80	4.87	59.67
6. बाजारों का विनियमन	3475	8.02	5.66	13.68	14.58	6.44	21.02	10.62	6.02	16.64
7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (अंशदान)	3475	...	0.10	0.10	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15
8. दलहनों के आयात पर सब्सिडी	2408	...	270.00	270.00	...	250.00	250.00	...	158.39	158.39	...	10.00	10.00
जोड़-उपभोक्ता मामले		124.61	314.67	439.28	212.05	298.59	510.64	168.86	204.62	373.48	193.40	55.11	248.51
9. उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं													

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
9.01 उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं													
9.01.01 उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं	3456	...	12.04	12.04	...	15.30	15.30	...	11.80	11.80	...	7.80	7.80
	3601	...	18.50	18.50	...	30.00	30.00	...	33.50	33.50	...	6.80	6.80
	3602	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.40	0.40
	जोड़	...	30.54	30.54	...	45.80	45.80	...	45.80	45.80	...	15.00	15.00
9.01.02 घटाइए - उपभोक्ता कल्याण निधि से पूरी की गई धनराशि	3456	...	-12.04	-12.04	...	-15.30	-15.30	...	-11.80	-11.80	...	-7.80	-7.80
	3601	...	-18.50	-18.50	...	-30.00	-30.00	...	-33.50	-33.50	...	-6.80	-6.80
	3602	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.40	-0.40
	जोड़	...	-30.54	-30.54	...	-45.80	-45.80	...	-45.80	-45.80	...	-15.00	-15.00
	कुल
उद्योग													
10. उपभोक्ता उद्योग	2852	1.80	...	1.80	4.74	...	4.74	0.54	...	0.54	4.50	...	4.50
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	21.83	...	21.83	20.72	...	20.72	19.30	...	19.30
	4552	2.38	...	2.38	1.88	...	1.88	2.80	...	2.80
	जोड़	24.21	...	24.21	22.60	...	22.60	22.10	...	22.10
12. वास्तविक वसूलियां	3456
	3601	-0.01	...	-0.01
	जोड़	-0.01	...	-0.01
कुल जोड़		126.40	330.31	456.71	241.00	315.90	556.90	192.00	220.86	412.86	220.00	75.79	295.79
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. उपभोक्ता उद्योग	12860	1.79	...	1.79	4.74	...	4.74	0.54	...	0.54	4.50	...	4.50
2. नागरिक आपूर्ति	13456	124.61	...	124.61	212.05	...	212.05	168.86	...	168.86	193.40	...	193.40
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	24.21	...	24.21	22.60	...	22.60	22.10	...	22.10
जोड़		126.40	...	126.40	241.00	...	241.00	192.00	...	192.00	220.00	...	220.00

1. यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. यह प्रावधान राष्ट्रीय परीक्षणशाला के लिए है।

3. यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा उपभोक्ता संरक्षण एकक के सचिवालय व्यय और पी0एम0सी0 को मजबूत बनाने के लिए है। इसमें उपभोक्ता जागरूकता के तहत विज्ञापन और प्रचार, उपभोक्ता मंचों के संबंध में राज्यों/संघ स्तर पर उपभोक्ता मंचों के नेटवर्किंग कार्यक्रम के साथ-साथ उपभोक्ता मंचों के सुदृढीकरण के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।
4. मूल्य निगरानी कक्ष के सुदृढीकरण का विलय उपभोक्ता संरक्षण में कर दिया गया है।
5. यह प्रावधान बाट तथा माप एकक, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं तथा भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान के सचिवालय व्यय के लिए है, जिसमें मुख्य निर्माण कार्यों तथा क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी और उपकरण भी शामिल हैं। इसमें राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर बाट तथा माप आधारभूत-ढांचे के सुदृढीकरण के कार्यक्रम के लिए भी प्रावधान शामिल है।
7. यह प्रावधान विधिक माप विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अंशदान के लिए है।
8. यह प्रावधान दालों के आयात पर एमएमटीसी, पीईसी, एसटीसी और नेफेड को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ राज्य सरकारों को आयातित दालों के वितरण के लिए है।
9. यह प्रावधान उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत आने वाली स्कीमों के लिए है।
10. यह प्रावधान भारत में सोने के हॉलमार्किंग/एसेडिंग केंद्रों की स्थापना के लिए किया गया है।
11. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के वास्ते एकमुश्त प्रावधान।